



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941

No. 290]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

(पीएलआई निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

सं. 25-1/2011-एलआई (खंड-II).—राष्ट्रपति भारत के राजपत्र संख्या 85 (भाग-1, खंड-1, असाधारण) में 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित "डाक घर जीवन बीमा नियमावली, 2011" में पुनः निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

2. नियम 13 (क) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

चिकित्सा स्कीम

के स्थान पर : प्रत्येक मामले में, जहां 1 लाख रु. से अधिक की बीमित राशि के साथ डाक जीवन बीमा के लिए आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा का और संयुक्त जीवन बीमा के मामले में बीमित राशि का ध्यान किए बिना तथा 25,000/-रु. (पच्चीस हजार रु. केवल) से अधिक बीमित राशि के साथ ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा एवं दस वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तावक की विनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच करानी होगी और ऐसे बीमा के लिए उसे उक्त अधिकारी से फिटनेस प्राप्त करनी होगी।"

पढ़ें : "प्रत्येक मामले में जहां डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तावक को निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच करानी चाहिए [ऐसे मामले को छोड़कर, जहां प्रस्ताव किसी अन्य गैर मेडिकल पॉलिसी / पॉलिसियों जिसका प्रस्तावक धारक है या गैर मेडिकल स्कीम के अंतर्गत धारक बनने का प्रस्ताव करता है, के साथ 5,00,000/- रुपए (पीएलआई में) या 1,00,000/- रुपए (आरपीएलआई में) की बीमित राशि तक है और प्रस्तावक की आयु अगली जन्मतिथि को 40 वर्ष (पीएलआई में) और 35 वर्ष (आरपीएलआई में) से अधिक नहीं है] तथा उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसी बीमा के लिए उपयुक्त घोषित किया जाना

चाहिए।" इसके अलावा, बीमित रकम के 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) तक की पीएलआई पॉलिसी गैर मेडिकल पॉलिसी होगी, आयु सीमा जो भी हो।"

नियम 14 : गैर-चिकित्सा स्कीम (डाक जीवन बीमा)

के स्थान पर : कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अगले जन्मदिन को 35 वर्ष से अधिक न हुई हो और जो डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के अधीन डाक जीवन बीमा पालिसी के लिए पात्र हो, सिवाय अतिरिक्त विभागीय एजेंट, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के पूर्व-कर्मचारी और कोई भी जिसने गैर-चिकित्सा या चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत जीवन बीमा पालिसी के लिए आवेदन किया हो तथा भारत में कार्यरत बीमा कंपनी द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो, के मामलों को छोड़कर डाक जीवन बीमा में एक गैर-चिकित्सा पालिसी के लिए आवेदन कर सकता है और अन्य किसी गैर-चिकित्सा पालिसी/पालिसियों के साथ ऐसी बीमित राशि 10,000/-रु. (दस हजार रु.) के गुणकों में होगी तथा 1,00,000/-रुपए (एक लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी जिन्हें प्रस्तावक उक्त गैर-चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत रख सकता है, या रखने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, किसी भी गैर-चिकित्सा या चिकित्सा पालिसी/पालिसियों जिन्हें प्रस्तावक रख सकता है या रखने का प्रस्ताव करता है, के साथ कुल बीमित राशि 50,00,000/- रुपए (पचास लाख रुपए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावक का चिकित्सा इतिवृत्त कोई प्रतिकूल टिप्पणी न दर्शाए और यदि वह प्रस्ताव के समय चिकित्सा रूप से फिट हो तथा प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष पहले उसे कोई गंभीर बीमारी न हुई हो और उसे अस्पताल में भर्ती न कराया गया हो।"

पढ़ें : गैर चिकित्सा स्कीम (पीएलआई) – कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अगली जन्मतिथि को 40 वर्ष से अधिक नहीं है, और जो डाक घर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के अंतर्गत डाक घर जीवन बीमा के लिए पात्र है तथा कोई व्यक्ति जिसने गैर चिकित्सा या चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत जीवन आश्वासन पॉलिसी के लिए आवेदन किया था और भारत में प्रचालन करने वाली किसी बीमा कंपनी द्वारा नामंजूर कर दिया गया था, किसी अन्य गैर चिकित्सा पॉलिसी / पॉलिसियों जिसका प्रस्तावक धारक हो सकता है या उक्त चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत धारक बनने का प्रस्ताव करता है, के साथ ऐसी बीमित रकम के लिए 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) के गुणज में पीएलआई में गैर चिकित्सा पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी राशि 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, कुल बीमित रकम किसी गैर मेडिकल या/और मेडिकल पॉलिसी / पॉलिसियों जिसका प्रस्तावक धारक हो सकता है या धारक बनने का प्रस्ताव करता है, के साथ 50,00,000/- रुपए (पचास लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावक के चिकित्सा इतिहास से किसी प्रतिकूल विशेषता का खुलासा नहीं होना चाहिए और प्रस्ताव के समय प्रस्तावक चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ है और प्रस्ताव की तिथि से पूर्व दो वर्षों के दौरान वह किसी स्थायी बीमारी से पीड़ित और अस्पताल में भर्ती नहीं था।

इसके अलावा, नियम 15 में उल्लिखित 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए)* के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है।

***टिप्पणी : 'आयु के गैर मानक प्रमाण के साथ गैर चिकित्सा आरपीएलआई पॉलिसी / पॉलिसियों की अधिकतम सकल बीमित रकम की सीमा 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए मात्र) बनी रहेगी।'**

3. नियम 18 तथा 19 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

नियम 18 के स्थान पर : डाक जीवन बीमा पालिसियों के लिए : जब कोई व्यक्ति डाक जीवन बीमा के अंतर्गत आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा सहित बंदोबस्ती बीमा, संयुक्त जीवन बीमा तथा बाल पालिसी खरीदने की इच्छा रखता है तो, उसे प्रस्ताव के विनिर्दिष्ट प्रपत्र, जिसे निकटतम डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है, में प्रश्न का उत्तर देना और निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने तथा प्रपत्र में सही एवं वस्तुपरक सूचना दिए जाने के टोकन के रूप में प्रपत्र पर हस्ताक्षर अथवा, अगर निरक्षर हो तो अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना जरूरी होगा। प्रस्ताव प्रपत्र पर प्रस्तावक द्वारा विपणन स्टाफ अर्थात् विकास अधिकारी, फील्ड अधिकारी, डायरेक्ट एजेंट आदि के समक्ष हस्ताक्षर करना होगा अथवा अंगूठे का निशान लगाना होगा, जो इस संबंध में प्रमाणपत्र देगा। प्रस्तावक का आसन्न पर्यवेक्षक इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई सूचना का सत्यापन कर लिया गया है तथा वे सही पाई गई हैं।

नियम 19 के स्थान पर : प्रस्तावक का आसन्न वरिष्ठ अधिकारी प्रस्ताव के प्रपत्र में उत्तरों को उसकी सेवा-पुस्तिका, सेवावृत्त, नियुक्ति प्रमाण पत्र के सेवावृत्त से मिलान करेगा तथा स्वयं इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रस्तावक के सेवा संबंधी ब्यौरे उचित रूप से दर्ज किए गए हैं और उनका सत्यापन किया गया है। वह निम्नलिखित की एक सत्यापित

प्रति तैयार करेगा (1) सेवा-पुस्तिका का पहला पृष्ठ अथवा (2) सेवा-वृत्त के विवरणात्मक शीर्षक, अथवा (3) नियुक्ति प्रमाणपत्र की एक सत्यापित प्रति तैयार करेगा और यदि प्रस्तावक हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। जो प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर कर सके उसके हस्ताक्षर ही लिए जाएं। इसके बाद, आसन्न वरिष्ठ अधिकारी उपर्युक्त सत्यापित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रपत्र को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने वाले डाक जीवन बीमा के मार्केटिंग स्टाफ के सुपुर्द करेगा।

टिप्पणी 1 : यदि किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, सेवावृत्त या नियुक्ति प्रमाण पत्र न हो तो प्रस्ताव के साथ नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों पर, विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र भरकर साथ में भेजा जाए। प्रस्तावक के आसन्न वरिष्ठ अधिकारी स्वयं को प्रस्तावक के कार्यालय के रिकार्ड से मिलान करके संतुष्ट करेगा कि प्रस्तावक के ब्यौरे उचित रूप से दर्ज और सत्यापित है। वह ऊपर उल्लिखित प्रमाण पत्र पर अपनी उपस्थिति में प्रस्तावक के हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे का निशान, जैसी भी स्थिति हो, हासिल करेगा। प्रस्तावक के स्कूल प्रमाण पत्र, नगर निगम के जन्म तिथि प्रमाणपत्र अथवा यदि प्रस्तावक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करे तो दो सम्मानित व्यक्तियों (जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रस्तावक की आयु के बारे में बता सकें) द्वारा जारी किए गए उसकी आयु के बारे में प्रमाण पत्र को प्रस्ताव के साथ लगाया जाना चाहिए।

नियम 18 पढ़ें : "पीएलआई पॉलिसी के लिए : जब कोई व्यक्ति पीएलआई के अंतर्गत आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, पूर्वानुमानित एंडाउमेंट बीमा सहित एंडाउमेंट बीमा, संयुक्त जीवन बीमा और चिलिड्रन पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसे प्रस्ताव के निर्धारित प्रपत्र जो नजदीकी डाक घर से प्राप्त किया जा सकता है, में प्रश्न का उत्तर देना होगा और इसकी शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति तथा प्रस्ताव के प्रपत्र में सही एवं तथ्यात्मक सूचना प्रस्तुत करने के प्रमाण में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे या अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा, यदि निरक्षर हैं। प्रस्ताव के प्रपत्र पर यथास्थिति विपणन स्टाफ अर्थात् विकास अधिकारी, फील्ड अधिकारी, डायरेक्ट एजेंट आदि की उपस्थिति में या डाक घर के खिड़की सहायक, जिसे इस संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा, की उपस्थिति में प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। प्रस्ताव का प्रपत्र नकदी में या चेक के रूप में अग्रिम प्रीमियम के साथ प्रस्तावक द्वारा संबंधित विपणन स्टाफ या खिड़की सहायक को सौंपा जा सकता है, जिसके बदले में संबंधित विपणन स्टाफ या खिड़की सहायक द्वारा प्रस्तावक को रसीद दी जाएगी।

नियम 19 : (हटाया जाता है)

टिप्पणी 1 : अस्थायी कर्मचारी के मामले में, प्रस्ताव के साथ नियुक्ति की शर्तों एवं नियमों पर विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। **प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक के स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के किसी अन्य प्रमाण की स्वयं प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।"**

4. नियम 58 (1), 58 (5) और नियम 58 के नीचे टिप्पणी को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

58 (1) के स्थान पर : (1) पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर अपने विवेकाधिकार से ऐसी पालिसी को पुनः प्रवर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं जो नियम 56(1) के निबंधनों के अनुसार शून्य हो गई हो अथवा नियम 57(1) के निबंधनों के अनुसार सक्रिय नहीं रह गई है और नियम 56(3) या 57(3) के उपबंधों के अंतर्गत पुनर्स्थापित नहीं की गई है बशर्ते कि उक्त तिथि प्राप्त न कर ली हो और बीमित व्यक्ति पुनःप्रवर्तन के समय बीमायोग्य हो। ऐसा पुनःप्रवर्तन प्रीमियम की सभी बकाया राशि और डाक महानिदेशक द्वारा विहित दरों पर उससे संबंधित ब्याज, पालिसी के संदर्भ में प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की तिथि जो पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा निर्धारित हो, से परिकलित होगा और प्राप्य के भुगतान की शर्त के अधीन होगा और आगे नियोक्ता (नियोक्ताओं) का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगा कि पालिसीधारक ने गत एक वर्ष के दौरान या वैसी पालिसी के संदर्भ में प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम के प्राप्य होने की तिथि से चिकित्सा आधारों पर कोई छुट्टी नहीं ली है और एक प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंट से विहित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र कि बीमादार की सेहत और आदतों के संबंध में बीमित व्यक्ति बीमा योग्य है और यह दर्शाने के लिए इस बात के साक्ष्य हैं कि उसके निजी या पारिवारिक इतिवृत्त या उसके पेशे में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

58 (5) : आरपीएलआई पॉलिसी की बहाली के लिए, ये नियम आवश्यक संशोधन के साथ लागू होंगे, केवल यह छोड़कर कि नियोक्ता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

टिप्पणी : नियम 58 के अंतर्गत पालिसी की पूरी अवधि के दौरान पालिसी का पुनःप्रवर्तन दो से अधिक बार अनुमेय नहीं किया जाएगा तथापि जिसमें पुनःस्थापन हेतु नियम 56(3) तथा 57(3) दी में गई रियायत सम्मिलित नहीं होगी।

पढ़ें. 58 : (1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का प्रबंधक अपने विवेक के आधार पर ऐसी पॉलिसी को अनुमत कर सकता है जो नियम 56 (1) की शर्तों के अंतर्गत शून्य हो गई है या नियम 57 (1) की शर्तों के अंतर्गत सक्रिय नहीं रह गई है और बहाल किए जाने के लिए नियम 56 (3) या 57 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत बहाल नहीं की गई है, परंतु यह कि उक्त पॉलिसी ने परिपक्वता की तिथि प्राप्त नहीं की है और प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरी है और बीमित जीवन बहाली के समय बीमा योग्य है। ऐसी बहाली पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि के अंदर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित तथा ऐसी पॉलिसी के संबंध में प्रथम अदत्त प्रीमियम के देय होने की तिथि से परिकलित दरों पर उस पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी एरियर के भुगतान के अधीन और निर्धारित प्रारूप में अधिकृत चिकित्सा परिचर से प्रमाण पत्र जिसमें बीमित व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आदतों को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित किया गया है कि बीमित जीवन बीमा योग्य है और यह दर्शाने के लिए साक्ष्य कि उसके निजी या पारिवारिक इतिहास या उसके पेशा में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, के अधीन होगी।

58 (5) : ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसियों के पुनःप्रवर्तन के लिए ये नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

टिप्पणी : नियम 58 के अंतर्गत पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान पॉलिसी की बहाली कितनी भी बार अनुमत होगी, जिसमें बहाली के लिए नियम 56 (3) और 57 (3) के अंतर्गत प्रदान की गई छूट शामिल होगी। तथापि, ऐसी कालातीत पॉलिसी के विरुद्ध प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरनी चाहिए।

5. नियम 59 (3) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर : 59 (3) : ऋण किसी भी समय वापस किया जा सकता है। इनका भुगतान कम से कम 100 रुपए की किश्तों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष 10% की दर पर छमाही चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा तथा ऋण बंधपत्र और ऋण पुनर्भुगतान रसीद बुक में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उससे पहले उसका भुगतान किया जाएगा। छमाही ब्याज उस राशि पर प्रभारित किया जाएगा जो छमाही के पहले दिन बकाया होगी तथा उस छमाही के दौरान लौटाई गई किसी भी राशि को केवल अगली छमाही के ब्याज की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। चुकाई गई अंतिम वापसी अदायगी के मामले में, ब्याज उस महीने की अंतिम तारीख के बाद नहीं प्रभारित किया जाएगा, जिस महीने अंतिम भुगतान किया गया है बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छः महीने के लिए ब्याज पहले ही प्रभारित किया जा चुका है। ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी पूर्णतया बीमादार की है। छमाही ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में बीमादार को नोटिस केवल उसी समय दिया जाएगा जबकि मूलधन के किसी अंश के भुगतान के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में कोई परिवर्तन हुआ हो। लेकिन ब्याज के भुगतान न करने के संबंध में उक्त नोटिस प्राप्त न होने का तर्क किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि नियत तारीख को ब्याज को नहीं चुकाया जाता है तो वह ऋण की बकाया राशि और उस पर प्रभारित सामान्य ब्याज में जोड़ दिया जाएगा। छमाही ब्याज के भुगतान में तीन बार चूक होने पर पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को यह अधिकार होगा कि वह उस पालिसी को अभ्यर्पित कर ले तथा उसके अभ्यर्पण मूल्य का उपयोग उक्त ऋण और ब्याज के भुगतान में कर ले। ऐसे अभ्यर्पण मूल्य की, यदि कोई शेष राशि 10,000/-रुपए की पालिसी के प्रदत्त मूल्य के लिए पर्याप्त हो तो, उसका उपयोग ऐसे प्रदत्त पालिसी जारी करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, वह राशि उस पक्षकार को नकद अदा की जाएगी, जो उसका हकदार हो।

दावे के निस्तारण के समय में ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पालिसी के मूल्य से वसूली जाएगी। ऋण पर ब्याज उस माह की अंतिम तारीख तक उपार्जित होगा जिसमें कोई पालिसी परिपक्वता अथवा अभ्यर्पण के कारण दावा बनती है, बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छः माह ब्याज प्रभारित हुआ हो।"

पट्टे : 59 (3) : ऋण का पुनर्भुगतान किसी भी समय किया जा सकता है। इसका भुगतान कम से कम 100 रुपए की किश्तों में भी किया जा सकता है। ऋण के संवितरण की तिथि से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की छमाही चक्रवृद्धि दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा तथा ऋण बाण्ड एवं ऋण पुनर्भुगतान रसीद बही में निर्दिष्ट तिथियों को या उनसे पहले भुगतान किया जाना चाहिए। छमाही के लिए ब्याज छमाही की पहली तारीख को बकाया राशि पर प्रभारित किया जाएगा तथा उस छमाही के दौरान किए गए किसी पुनर्भुगतान को केवल अगली छमाही के लिए ब्याज की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम पुनर्भुगतान के मामले में, माह जिसमें अंतिम पुनर्भुगतान किया जाता है, की अंतिम तारीख के बाद ब्याज प्रभारित किया जाएगा, यदि कम से कम छह माह के लिए ऋण पर ब्याज पहले प्रभारित किया जा चुका है। ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी केवल बीमित व्यक्ति पर है। छमाही ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में नोटिस बीमित व्यक्ति को तभी जारी किया जाएगा जब मूलधन के किसी भाग के भुगतान के फलस्वरूप ब्याज के रूप में देय राशि में कोई परिवर्तन होगा।

परंतु ब्याज का भुगतान न किए जाने के लिए किसी भी परिस्थिति में ऐसा नोटिस प्राप्त न होने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है। यदि देय तिथि को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो उसे ऋण की बकाया राशि में जोड़ा जाएगा और उस पर स्वाभाविक ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

छमाही ब्याज के भुगतान में चूक या ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का प्रबंधक बीमित व्यक्ति को उस समय पहला अनुस्मारक / सूचना भेजेगा जब ऋण पूंजीकरण (देय ब्याज सहित) अभ्यर्पित मूल्य के 90 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा तथा दूसरा अनुस्मारक / सूचना उस समय भेजेगा जब ऋण पूंजीकरण (देय ब्याज सहित) अभ्यर्पित मूल्य के 95 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा और बकाया ऋण राशि तथा देय ब्याज के भुगतान के लिए अंतिम नोटिस उस समय भेजेगा जब ऋण पूंजीकरण अभ्यर्पित मूल्य के 100 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।

यदि तीसरे अनुस्मारक / सूचना के निर्गम की तिथि से 30 दिन के अंदर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी जबरन अभ्यर्पित की जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्पित मूल्य के अधिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान उसके पॉलिसी धारक को किया जाएगा।

तथापि, निम्नलिखित मामलों में जबरन / स्वतः अभ्यर्पण लागू नहीं होगा :

(i) जहां पॉलिसी दावा बन जाती है

(ii) पॉलिसी की परिपक्वता तिथि अगले एक वर्ष के अंदर है

दावे के निस्तारण के समय में ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पालिसी के मूल्य से वसूली जाएगी। ऋण पर ब्याज उस माह की अंतिम तारीख तक उपार्जित होगा जिसमें कोई पालिसी परिपक्वता अथवा अभ्यर्पण के कारण दावा बनती है, बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छः माह ब्याज प्रभारित हुआ हो।"

एल. एन. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई) भारत सरकार में अपर सचिव के समकक्ष

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

No. 25-1/2011-LI (Part-II).—The President is pleased to make the further following amendments to "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part-I Section-I Extraordinary):

2. Rule 13 (a) is amended as under: -

Medical Scheme

FOR: In every case where a proposal for Postal Life Insurance or Rural Postal Life Insurance is submitted, the proposer must undergo a medical examination by the prescribed medical authority (except where the proposal is for Endowment Assurance up to sum assured of **Rs. 1,00,000/- (In PLI) or Rs. 25,000/- (in RPLI)** together with any other Non-Medical Policy/Policies which the proposer may hold or proposes to hold under the Non-Medical Scheme and age of proposer is **not exceeding 35 years** on next birthday), and must be declared fit for such insurance by the said authority.”

READ: “In every case where a proposal for Postal Life Insurance or Rural Postal Life Insurance is submitted, the proposer must undergo a medical examination by the prescribed medical authority (except where the proposal is up to sum assured of **Rs. 5,00,000/- (Rs Five lakh) in PLI or Rs. 1,00,000 /- (Rs. One lakh)*** in RPLI together with any other Non-Medical Policy/Policies which the proposer may hold or proposes to hold under the Non-Medical Scheme and age of proposer is **not exceeding 40 years** (in PLI) and **35 Years (in RPLI)** on next birthday), and must be declared fit for such insurance by the said authority. **Further, a PLI policy upto Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakh) of sum assured will be a non -medical policy irrespective of age limit”**

Rule 14: Non -Medical Scheme (PLI)

FOR: Non-Medical Scheme (PLI) -_Any person, whose age on next birthday **does not exceed 35 years**, and who is eligible for a Postal Life Insurance under Post Office Life Insurance Rules, 2011 and anyone who had applied for a Life Assurance Policy either under Non-Medical or Medical Scheme and had not been turned down by any insurance company operating in India, may apply for a Non-Medical Policy in PLI in multiples of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand), for such sum assured which **shall not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh)** together with any other Non-Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold under the said Non-Medical Scheme. Further the total sum assured shall not exceed Rs. 50,00,000/- (Rupees fifty Lakh) together with any Non-Medical or/and Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold. The medical history of the proponent should not reveal any adverse features, and the proponent is medically fit at the time of proposal and had not suffered with any chronic disease and hospitalized during the two years prior to the date of proposal.”

READ: *Non-Medical Scheme (PLI) -_Any person, whose age on next birthday **does not exceed 40 years**, and who is eligible for a Postal Life Insurance under Post Office Life Insurance Rules, 2011 and anyone who had applied for a Life Assurance Policy either under Non-Medical or Medical Scheme and had not been turned down by any insurance company operating in India, may apply for a Non-Medical Policy in PLI in multiples of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand), for such sum assured which **shall not exceed Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh)** together with any other Non-Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold under the said Non-Medical Scheme. Further the total sum assured shall not exceed Rs. 50,00,000/- (Rupees fifty Lakhs) together with any Non-Medical or/and Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold. The medical history of the proponent should not reveal any adverse features, and the proponent is medically fit at the time of proposal and had not suffered with any chronic disease and hospitalized during the two years prior to the date of proposal.*

Further, ‘Rs. 25,000/- (Rs. Twenty-five thousand)’ appearing in Rule 15 is amended to read as ‘Rs.100,000/- (Rs. One lakh)*’.

***Note: ‘Maximum aggregated sum assured limit of non-medical RPLI policy/ies with non -standard age proof will remain Rs. 25,000/- (Rupees twenty-five thousand only).’**

3. Rule 18 & 19 are amended as under:

FOR (Rule 18): For PLI policies: when a person wishes to purchase a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment assurance including Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Assurance and Children policy under PLI, he will be required to answer, the question in the prescribed form of proposal which can be obtained at the nearest post office and to sign the form or impress his/her left hand thumb impression, if illiterate, in token of having accepted

the terms and conditions thereof and having furnished correct and factual information in the proposal form. The proposal form shall be signed or impressed with thumb by the proponent in the presence of Marketing Staff i.e. Development Officer, Field Officer, Direct Agent etc., or in the presence of counter assistant of Post Office, as the case may be, who will have to give certificate in this regard. The proposal form may be handed over to the concerned Marketing Staff or Counter Assistant by the proponent along with the advance premium in Cash or in Cheque for which a receipt will be given to the proponent by the concerned Marketing Staff or Counter Assistant.

The immediate supervisor of the proponent will give certificate that the information furnished in the proposal form has been verified and found correct.

FOR (Rule 19). The immediate superior of the proposer will compare the answers in the form of proposal with the proposer's service book, service roll, appointment certificate and satisfy himself that the details of the proposer's service have been properly recorded and attested. He will prepare a certified copy of (1) the first page of the service book, or (2) the descriptive headings of the service roll, or (3) the appointment certificate and if the proposer is unable to sign his name obtain on it the impression of the left thumb of the proposer in his presence. In the case of a proposer who is able to sign his name, the signature only should be obtained. The immediate superior will then handover the proposal form accompanied with the certified documents referred to above to the Marketing Staff of the Postal Life Insurance who processed the proposal."

NOTE 1: - In the case of a temporary official who has no service book, service roll or appointment certificate, the proposal should be accompanied by the certificate granted by a competent officer of the Department on the terms and conditions of appointment. The immediate superior of the proposer should satisfy himself by a comparison with the records of his office that the details of the proposer's service have been properly recorded and attested. He will obtain, on the certificate referred to above the signature or the impression of the left-thumb as the case may be of the proposer in his presence. An attested copy of the proposer's school certificate, a municipal certificate of birth or when a proposer is unable to produce any such document a certificate regarding his age granted by two respectable persons (who should be able to speak from their personal knowledge as to the proposer's age) should also be attached to the proposal."

READ (Rule 18): "For PLI policies: when a person wishes to purchase a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment assurance including Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Assurance and Children policy under PLI, he will be required to answer, the question in the prescribed form of proposal which can be obtained at the nearest post office and to sign the form or impress his/her left hand thumb impression, if illiterate, in token of having accepted the terms and conditions thereof and having furnished correct and factual information in the proposal form. The proposal form shall be signed or impressed with thumb by the proponent in the presence of Marketing Staff i.e. Development Officer, Field Officer, Direct Agent etc., or in the presence of counter assistant of Post Office, as the case may be, who will have to give certificate in this regard. The proposal form may be handed over to the concerned Marketing Staff or Counter Assistant by the proponent along with the advance premium in Cash or in Cheque for which a receipt will be given to the proponent by the concerned Marketing Staff or Counter assistant.

(Rule 19): (Deleted)

NOTE 1: -*In the case of a temporary official the proposal should be accompanied by the certificate granted by a competent officer of the Department on the terms and conditions of appointment. A self-attested copy of the proposer's school certificate or certificate of birth or any other proof of date of birth should also be attached to the proposal."*

4. Rule 58 (1), 58(5) and Note Below Rule 58 are amended as under: -

FOR 58. (1) The Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/Head Office), may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified

by the Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due **and further subject to production of a certificate from the employer (s) that the policy holder had not taken any leave on medical grounds during the last one year, or during the period from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy**, and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

58 (5). For revival of RPLI policies, these rules shall apply mutatis mutandis **except that the employer's certificate shall not be required.**

NOTE: -The revival of a policy under Rule 58 shall not be allowed on more than two occasions during the entire term of the policy which will, however, not include the relaxation given under Rules 56(3) and 57(3) for re-instatement.

READ 58. (1) The Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and ***a period of consecutive 5(five) years has not passed from the date of first unpaid premium*** and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by the Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

58 (5). **For revival of RPLI policies, these rules shall apply mutatis mutandis.**

NOTE: - The revival of a policy under Rule 58 shall be allowed on any number of occasions during the entire term of the policy including the relaxation given under Rules 56(3) and 57(3) for re-instatement. However, a period of consecutive 5(five) years should not have passed from the date of first unpaid premium against such lapsed policy.

5. Rule 59 (3) is amended as under:

FOR: “59. (3). The loan may be repaid at any time. It may also be paid in installments of amount not less than Rs. 100/-. Interest will be charged @ 10% per annum compounding half yearly from the date of disbursement of loan and should be paid on or before the dates specified in the loan bond and loan repayment receipt book. Interest for the half year will be charged on the amount outstanding on the first day of the half year, and any repayment made during that half year will be taken into account for calculation of interest only for the next half year. In the case of final repayment, interest will not be charged beyond the last date of the month in which the final repayment is made provided that interest had already been charged on the loan for at least six months. The responsibility for payment of interest rests solely on the insurant. A notice regarding the amount to be paid as half yearly interest will be issued to the insurant only when there is a change in the amount payable as interest as a result of payment of a part of the principal.

But the plea of non-receipt of such a notice cannot in any circumstances be accepted for non-payment of interest. If the interest is not paid on the due date, it will be added to the outstanding amount of loan and usual interest charged thereon. **In the event of any three defaults in the payment of half yearly interest, the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), will be entitled to surrender the policy and to apply the surrender value thereof in payment of the said loan and interest. The balance, if any, of such surrender value if adequate for a paid up value of**

Rs. 10,000/- shall be utilized for the issue of such a paid-up policy; otherwise the amount will be paid in cash to policy holder entitled thereto.

The outstanding balance of the loan with interest will be recovered from the value of the policy at the time of settlement of the claim. Interest on a loan will accrue up to the last date of the month in which the policy becomes a claim either by maturity or by surrender, provided that interest for at least six months had been charged on the loan.”

READ:59. (3). The loan may be repaid at any time. It may also be paid in installments of amount not less than Rs. 100/-. Interest will be charged @ 10% per annum compounding half yearly from the date of disbursement of loan and should be paid on or before the dates specified in the loan bond and loan repayment receipt book. Interest for the half year will be charged on the amount outstanding on the first day of the half year, and any repayment made during that half year will be taken into account for calculation of interest only for the next half year. In the case of final repayment, interest will not be charged beyond the last date of the month in which the final repayment is made provided that interest had already been charged on the loan for at least six months. The responsibility for payment of interest rests solely on the insurant. A notice regarding the amount to be paid as half yearly interest will be issued to the insurant only when there is a change in the amount payable as interest as a result of payment of a part of the principal.

But the plea of non-receipt of such a notice cannot in any circumstances be accepted for non-payment of interest. If the interest is not paid on the due date, it will be added to the outstanding amount of loan and usual interest charged thereon.

In the event of defaults in the payment of half yearly interest or defaults in repayment of loan, the Postmaster/Manager of Central Processing Centre(GPO/Head Office), will send 1st reminder/intimation to insurant when loan capitalization(including due interest) reaches 90% of the surrender value and 2nd intimation/reminder when loan capitalization (including due interest) reaches 95% of the surrender value and final notice to pay off outstanding loan amount and due interest when loan capitalization reaches 100% of the surrender value.

If the due amount is unpaid within 30 days from the date of issue of 3rd intimation/reminder, the policy shall be forcibly surrendered and the balance, if any of such surrender value will be paid to policy holder thereto.

However, the forced/auto surrender shall not be applied in following cases:

- (i) Where policy becomes a claim
- (ii) Maturity date of the policy is within the next one year

The outstanding balance of the loan with interest will be recovered from the value of the policy at the time of settlement of the claim. Interest on a loan will accrue up to the last date of the month in which the policy becomes a claim either by maturity or by surrender, provided that interest for at least six months had been charged on the loan.”

L. N. SHARMA, Chief General Manager (PLI)
Equivalent to Addl. Secretary Govt. of India